

कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी बेल्ट लगाना अनिवार्य

प्रदेश में आज से लागू होगा नियम, लापरवाही पर कटेगा चालान

जयपुर (कासं)। कार में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में बुधवार से इसे लागू कर दिया जायेगा। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। बिना सीट बैल्ट कोई यात्री मिला तो उतना ही होगा, जितना आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति पर लगता है।

विभाग से जारी आदेशों में सीट बैल्ट उनके लिए अनिवार्य है, जो फ्रंट फेसिंग सीट पर बैठते हैं। यानी बैठते समय यात्री का फेस या दिशा आगे को तरफ हो। अक्सर बड़ी गाड़ियों में कई

■ पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं, अधिकारी खुद असमंजस की स्थिति में।

जगह सीट बैठे के सिंगल पर यह नियम लागू नहीं होगा। साइट सीट बैल्ट नहीं है। 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल पर बैल्ट में संशोधन करते हुए सीट बैल्ट नहीं लगाने

पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए की गई थी। कार में आगे बैठे दोनों यात्रियों पर यह फिलावत लागू था। आदेशों में पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी खुद असमंजस में।

परिवहन विभाग के कमिशनर कहने लागू स्वामी ने बताया कि गाड़ी की मैनुफैक्चरिंग के हिसाब से सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर किसी गाड़ी में 5 व्यक्ति हैं और 4 सीट पर बैल्ट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसको लेकर मामले को दिखाना

पड़ेगा। जात रहे कि युगरात से मंबई लौटते समय जाने वाले विजेन्सैन मार्गारेस मिश्नी की 4 सितंबर को कार फिलावत लागू था। अदेशों में पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी खुद असमंजस में।

परिवहन विभाग के हिसाब से सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर जिसी बाद केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंगलवार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी यात्रियों को कार में पीछे की सीट बैल्ट लगाने की अनिवार्यता करने के निर्देश दिए थे।

तीन वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। भांकरोटा थाना पुलिस ने वाहन चोरों के मामले का खुलासा करते हुए तीन शाति चोरों को बदाला है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरों की 3 बाइक बैठक की है। पुलिस पृष्ठालृप में बदाला है तो बदाला है। बदाला ने एक दूजने से अधिक वारदातों के अंतम दिन बचाव करने का बाइक चोरों को बदाला है। पृष्ठालृप में बदाला है तो सामने आया कि अदोसी पहले भी चोरों और लूट के प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके हैं जीवीपी (पश्चिम) वैदिता राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विधायक अहमद, नजरबाज उर तालिम और यूसुफ खान यौजवाहार जयपुर ग्रामीण के रहने वाले हैं। पुलिस पृष्ठालृप में बदालों ने खोद नागरिकों से दो बाइक चुलाना कबूल किया। जबकि एक बाइक चोरोंटों से और बाका चारों से तीन बाइक चुलाना कबूल किया है।



राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने नई दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मीट की।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में दिखेंगे साहित्य के बहुरंग

19 से 23 जनवरी को होटल क्लावर्स आमेर में आयोजित होगा

पहली सूची में 25 वक्ता शामिल

जयपुर, (का.सं.)। दुनिया का सबसे मोटा साहित्यिक शो वर्ष 2023 में ट्रेकेवल के साथ बैठक कर उठाकी सहित यह बताए कि ये सफाईकर्मी किस जगह पर काम कर रहे हैं।

डॉ. अग्रवाल मंगलवार को जल भवन में उठाया जाता है और कवरा फेंकने वालों पर कोई चालान नहीं हो रहा। इस पर अदालत ने न्यायमित को कहा कि यह नियम विभाग के अधिकारी को तो यह नहीं हो रहा।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूसरी बैठक की जाएगी। यह नियम विभाग की वीजों को माध्यम से संपादित करते हैं।

उठाने की ओर एक दूस

